(b) and (c). In view of the above Government does not feel need for the present, for enacting special Legislation in this regard.

Strategy for Tribal Development

*154. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that strategy of tribal development was conceived and formulated much earlier than the Component Plan;

(b) whether it is a fact that allocations made during Sixth Plan for Tribal Sub Plan are much less than those of Component Plan;

(c) if so, the reasons therefor when the population of Scheduled Castes is double than that of Scheduled Tribes; and

(d) the reasons why Tribal Sub Plan has been made unlike Component Plan, area oriented and not beneficiary oriented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) As per the 1971 census the population of Scheduled Castes is almost double that of Scheduled Tribes.

(d) Tribal Sub-Plan approach envisages area development with focus on Scheduled Tribes. Both area development schemes and beneficiary-oriented schemes are also taken up. In fact, in the Sixth Plan more emphasis is being paid on beneficiary-oriented schemes than in the Fifth Plan period.

अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास

*155. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुचित प्रशासकीय यूनिट न होने के कारण अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का अभी तक समुचित विकास नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह भी सच है, कि अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद, राष्ट्रीय हित में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि सड़कों, उद्योगों, कृषि, संचार, व्यापार आदि की दृष्टि से ये द्वीप उपेक्षित रहते हैं; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इन द्वीपों में रहने वाले भारतीय लोगों के जीवन के भरपूर विकास के लिए तथा उन्हें वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रगति तथा विकास के अवसर प्रदान करने के लिये "अन्डमान-निकोबार विकास प्राधिकरण" स्थापित करने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग). यह कहना सच नहीं होगा कि समुचित प्रशासकीय यूनिट न होने के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का समुचित विकास नहीं हुआ है। 1.88 लाख जनसंख्या वाले इस संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन एक प्रशासक के माध्यम से सीधी केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रशासक को सलाह देने के लिये हाल ही में एक प्रदेश परिषद स्थापित की गई है और परिषद को अन्य बातों के साथ साथ संघ शासित क्षेत्र के संबंध में विचार विमर्श करने और पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजना प्रस्तावों के संबंध में सिफारिश करने का अधिकार है। प्रदेश परिषद के चुने हुए सदस्यों में से पांच को पार्षद नियुक्त किया गया है। और उनको विशिष्ट विषय सौंपे गये हैं। जनता के प्रतिनिधियों को इस संस्था के होते हुए संघ शासित क्षेत्र के